

# कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :— शिविरा / माध्य / शालादर्पण / 60304 / वो-2 / 2020 / 71

दिनांक : 04-01-2022

1. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा, समस्त।
2. संस्था प्रधान / पीईईओ, राजकीय विद्यालय, समस्त।

विषय : शाला दर्पण पोर्टल पर कार्मिकों की ऑनलाईन उपस्थिति में संशोधन बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शिक्षा विभाग के अधीनस्थ राजकीय विद्यालयों में पदस्थापित कार्मिकों की शाला दर्पण पोर्टल पर दैनिक ऑनलाईन उपस्थिति विद्यालय लॉगिन के माध्यम से कार्मिक उपस्थिति पंजिका के आधार पर दर्ज की जाती है। ऑनलाईन उपस्थिति मॉड्यूल में त्रुटिपूर्ण उपस्थिति दर्ज होने पर अथवा किन्हीं तकनीकी कारणों से उपस्थिति दर्ज ना हो पाने की स्थिति में संशोधन/उपस्थिति दर्ज करने हेतु मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय लॉगिन में मॉड्यूल उपलब्ध करवाया गया है। ऑनलाईन उपस्थिति संशोधन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है :—

1. पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में वांछित सूचना दर्ज कर उपस्थिति पंजिका की फोटो प्रति संलग्न करते हुए संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रेषित करें।
2. किसी तिथि की उपस्थिति में संशोधन केवल 7 दिवस (राजकीय अवकाशों को शामिल करते हुए) तक ही संभव हो पाएगा।
3. कार्मिक द्वारा किए गए ऑनलाईन अवकाश आवेदन, जो संस्था प्रधान द्वारा स्वीकृत हो चुके हैं, में संशोधन संभव नहीं होगा।
4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा ऑनलाईन उपस्थिति में संशोधन हेतु प्राप्त प्रकरणों को निस्तारित कर संलग्न प्रारूप के अनुसार रजिस्टर में रिकॉर्ड संधारित करते हुए प्राप्त पत्रों को पंजिका में सुरक्षित रखा जावे।

एक तिथि की उपस्थिति में केवल एक बार ही संशोधन करवाया जा सकता है, अतः संशोधन हेतु रिकॉर्ड का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करते हुए आवेदन करें।

संलग्न : उपर्युक्तानुसार।

  
(काना राम)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक : 04-01-2022

क्रमांक :— शिविरा / माध्य / शालादर्पण / 60304 / वो-2 / 2020 / 71

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, जयपुर।
4. उप निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, समस्त संभाग।
6. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समस्त।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)—माध्यमिक/प्रारम्भिक, समस्त।
8. स्टॉफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
9. रक्षित पत्रावली।

  
, जिला शिक्षा अधिकारी  
माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

**शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन उपस्थिति में संशोधन हेतु प्रारूप**

क्रमांक :

दिनांक :

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी

विद्यालय का नाम : .....

जिला : ..... ब्लॉक : .....

NIC CODE : ..... UDISE : .....

दिनांक (जिसमें संशोधन किया जाना है) : .....

क्र. सं.	कार्मिक का नाम	पद	Emp ID	शाला दर्पण पर दर्ज उपस्थिति	संशोधन जो किया जाना है	संशोधन का कारण
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

संलग्न : उपस्थिति पंजिका की प्रतिलिपि।

नोट : – 1. कार्मिक द्वारा किए गए ऑनलाईन अवकाश आवेदन, जो संस्था प्रधान द्वारा स्वीकृत हो चुके हैं, में संशोधन संभव नहीं होगा।

2. संशोधन केवल गत सात दिवस (राजकीय अवकाशों को शामिल करते हुए) में संभव होगा।
3. एक तिथि के लिए केवल एक बार ही संशोधन संभव होगा।

हस्ताक्षर मय मोहर  
संस्था प्रधान / पीईईओ

